झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
Telefax – 06541-223690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 1063 दिनांक 31/05/2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मेसर्स सी0सी0एल0 के पुरनाडीह परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका ज्ञापांक 1079 दिनांक 05.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रॉची का पत्रांक वनभूमि–27/2016–5066, दिनांक 04.11.2016 द्वारा विषयक परियोजना से संबंधित चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख की मॉग की गई थी, जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अपने पत्रांक 1704 दिनांक 28.05.2018 द्वारा उक्त चार बिन्दुओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है। समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन में निम्नवत् स्थिति पायी गई :–

1. <u>बिन्दु संख्या 01 – प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 458 दिनांक 27.07.2011 द्वारा पूर्व में 152.66 हे0 वनभूमि (जंगल झाड़ी भूमि) का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जो अनु0 I के रूप में संलग्न है। उपायुक्त, चतरा द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में 4.19 एकड़ मौजा कुटकी का कतिपय प्लॉट जिसका किस्म परती कदिम भूमि था, उसे भी जंगल झाड़ी के रूप में शामिल किया गया था (अनु0–II)। समीक्षा के उपरांत प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त परती कदिम भूमि के स्थान पर संशोधित जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मॉग की गई थी, जिसके क्रम में उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 186 दिनांक 10.02.2018 द्वारा 4.19 एकड़ अन्य जंगल झाड़ी प्लॉटों का अलग से अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया गया है जो अनु0 IIA के रूप में संलग्न है। इस प्रकार 4.19 एकड़ + 372.88 एकड़ कुल 377.07 एकड़ अर्थात 152.66 हे0 जंगल झाड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया गया है (अनु0–II)।

2. <u>बिन्दु संख्या 02 – प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि 152.60 हे0 के संदर्भ में संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही के साथ)</u>

प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि कुल 152.60 हे0 में मात्र 39.69 हे0 का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत New Format के फार्म 2 में उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही के साथ अनु0 III के रूप में संलग्न है। शेष 112.91 हे0 जंगल झाड़ी भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। यहॉ उल्लेख करना है कि मूल प्रस्ताव के Part II की

कंडिका– 9 में स्पष्ट किया गया है कि 152.60 हे0 GMJJ में 101.73 हे0 में भारत सरकार के बिना पूर्वानुमति के खनन कार्य किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध penal charge/ अन्य कठोर दण्ड लगाया जाना अपेक्षित है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 112.91 हे0 जंगल झाड़ी भूमि के विरूद्ध मात्र दण्डात्मक क्षतिपुरक वनरोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जो अनु0 IV के रूप में संलग्न है।

3. बिन्दु संख्या 03 – प्रश्नगत परियोजना के पूर्ण लीज में अवस्थित सभी गैर वनभूमि का सक्षम राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भूमि विवरणी (Land Schedule)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में 509.45 हे0 गैर वनभूमि एवं 323.49 हे0 वनभूमि कुल 823.94 हे0 के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया था। सम्प्रति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राजस्व पदाधिकारी से हस्ताक्षरित 428.25 हे0 गैर वनभूमि की विवरणी संलग्न की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस परियोजना में 428.25 हे0 गैर वनभूमि एवं 323.49 हे0 वनभूमि कुल 751.74 हे0 का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इस प्रकार चूँकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में समर्पित प्रस्ताव 832.94 हे0 के स्थान पर सम्प्रति मात्र 751.94 का संशोधित प्रस्ताव दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन करना होगा एवं हार्डकॉपी एवं अन्य संबंधित अभिलेखों यथा– मानचित्र आदि में भी अपेक्षित संशोधन करते हुए पुनः संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख की हार्डकॉपी समर्पित करना होगा।

4. बिन्दु संख्या 04 – एन0पी0भी0 जमा करने से संबंधित बचनबद्धता

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0भी0, सी0ए0, पी0सी0ए0, सेफ्टी जोन एवं अन्य मद आदि हेतु मॉग की जाने वाली राशि जमा करने से संबंधित बचनबद्धता दी गई है, जो अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनु0 VIII के रूप में संलग्न है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सात प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

31/5/18

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।